रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01102021-230114
CG-DL-E-01102021-230114

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 570] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 1, 2021/आश्विन 9, 1943
No. 570] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 1, 2021/ASVINA 9, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2021

सं. 58/2021-सीमाशुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 712(अ).—जहां कि बांग्लादेश और नेपाल में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "पटसन उत्पाद" अर्थात पटसन यार्न/ट्वेन (मल्टीप्ल फोल्डेड/केबल्ड और सिंगल) हेस्सियन फैब्रिक्स और जुट सैकिंग बैग्स (एतद्पश्चात विषयगत वस्तु के रूप में उल्लिखित) जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतद्पश्चात सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के रूप में उल्लिखित) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 5307, 5310, 5607, 6305 के अंतर्गत वर्गीकृत हैं, के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 01/2017-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 5 जनुअरी, 2017, जिसे सा.का.नि. 11(अ), दिनांक 5 जनवरी, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (एतद्पश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार प्रारंभिकीकरण अधिसूचना संख्या 7/9/2021-डीजीटीआर, दिनांक 28 जून, 2021, जिसे दिनांक 28 जून, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड I में प्रकाशित किया गया था, के तहत समीक्षा का कार्य शुरू किया है और उन्होंने उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार उक्त प्रतिपाटन शुल्क को आगे भी जारी रखने के लिए अनुरोध किया है।

अत: अब उक्त नियमावली के नियम 18 और 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 01/2017-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 5 जनुअरी, 2017, जिसे सा.का.नि. 11 (अ), दिनांक 5 जनुअरी, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और आगे भी संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 के पश्चात और स्पष्टीकरण से पहले निम्नलिखित पैराग्राफ को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा :

"3. पैराग्राफ 2 में निहित किसी भी बात के बावजूद, यह प्रतिपाटन शुल्क दिनांक 31 मई, 2022 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, यदि इसके पहले इसे वापस नहीं ले लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो, लागू रहेगा"

[फा. सं. 190354/195/2021–टीआरयू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 01/2017-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 5 जनवरी, 2017, जिसे सा.का.नि. 11(अ), दिनांक 5 जनवरी, 2017 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, और जिसमे अंतिम बार संसोधन अधिसूचना संख्या 44/2019-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 11 नवंबर, 2019, जिसे सा.का.नि. 834(अ), दिनांक 11 नवंबर, 2019 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 2021

No. 58/2021-Customs (ADD)

G.S.R. 712(E).—Whereas, the designated authority *vide* initiation notification No. 7/9/2021-DGTR dated 28th June, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 28th June, 2021, has initiated review in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act) read with rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of "Jute products" namely, Jute Yarn/Twine (multiple folded/cabled and single), Hessian fabric, and Jute sacking bags (hereinafter referred to as the subject goods) falling under Tariff Headings 5307, 5310, 5607 or 6305 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, originating in or exported from Bangladesh and Nepal (hereinafter referred to as the subject countries), imposed *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 01/2017-Customs(ADD), dated 5th January, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 11(E), dated the 5th January, 2017, and has requested for extension of the said anti-dumping duty in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 23 of the said rules, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 01/2017-Customs(ADD), dated the 5th January, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 11(E), dated the 5th January, 2017, namely :

In the said notification, after paragraph 2 and before the Explanation, the following paragraph shall be inserted, namely-

"3. Notwithstanding anything contained in paragraph 2, the anti-dumping duty shall remain in force up to and inclusive of the 31st May, 2022, unless revoked, superseded or amended earlier.".

[F. No. 190354/195/2021-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note : The principal notification No. 01/2017-Customs(ADD), dated the 5th January, 2017 was published in the Gazette of India, *vide* number G.S.R. 11(E), dated the 5th January, 2017 and was last amended by notification No. 44/2019-Customs (ADD), dated the 11th November, 2019, published in the Gazette of India, vide number G.S.R 834(E), dated the 11th November, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.10.01 22:11:03 +05'30'